

प्रेस नोट
थाना बडागांव

दिनांक-15.03.24

अवैध असलहा-कारतूस के साथ अभियुक्त को थाना बडागाँव पुलिस द्वारा
गिरफ्तार किया गया

लोकसभा चुनाव-2024 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही में थाना रक्सा पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.03.24 को थाना बडागाँव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बराठा घाट की ओर जाने वाली सड़क पर नहर पुलिया ग्राम बराठा से राजा कुशवाहा उर्फ मिडू पुत्र प्रागीलाल कुशवाहा उम्र करीब 26 वर्षनिवासी मोहल्ला तालपाठा कस्बा व थाना बाडागांव जनपद झाँसी के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कार0 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभि0 उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय झाँसी भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त विवर

राजा कुशवाहा उर्फ मिडू पुत्र प्रागीलाल कुशवाहा उम्र करीब वर्ष 26निवासी मोहल्ला तालपाठा कस्बा व थाना बाडागांव जनपद झाँसी

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कार0 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधिकारी/कर्म0गण का नाम:-

- 1.उ0नि0 श्री ईश्वरदीन साहू थाना बडागांव झांसी
- 2.का0 619 आशीष सिंह थाना बडागांव झांसी
- 3.का0663 विमलेश कुमार थाना बडागांव
- 4.चालक हे0का0 सुखवीर सिंह थाना बडागांव झांसी

